

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

सूचना

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में आरक्षक/चालक और आरक्षक/चालक-सह-पम्प ऑपरेटर (अग्नि सेवाओं के लिए चालक) की भर्ती 2024

ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने की तिथि : 03/02/2025 से 04/03/2025

अंतिम तिथि : 04/03/2025 (2359 बजे तक)

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पात्र भारतीय पुरुष नागरिकों से आरक्षक/चालक और आरक्षक/चालक-सह-पम्प ऑपरेटर (अग्नि सेवाओं के लिए चालक) के अस्थाई पदों को भरने के लिए पे मेट्रिक्स (रु. 21,700 से 69,100/-) पे लेवल-3 सहित केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर देय सामान्य भर्तों पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उनकी नियुक्ति होने पर, वे, केओसुब अधिनियम एवं नियम के साथ-साथ समय-समय पर बल के अन्य सदस्यों पर लागू केन्द्रीय सिविल सेवा द्वारा अधिशासित होंगे, वे 01 जनवरी, 2004 को अथवा बाद में केन्द्र सरकार की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए लागू "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में ज्ञात परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली" के अनुसार पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। भर्ती की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

1.1	अभ्यर्थियों को केवल एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और वे आरक्षक/चालक और आरक्षक/डीसीपीओ दोनों के लिए पात्र होंगे। अभ्यर्थी आरक्षक/चालक, आरक्षक/डीसीपीओ या विलोमतः के लिए अपनी पहली और दूसरी वरीयता देगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के समय दिया गया विकल्प अंतिम होगा।
1.2	आवेदन पत्रों को केवल "ऑनलाइन" माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।
1.3	भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी)/शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी)/दस्तावेजीकरण/ट्रेड परीक्षा/लिखित परीक्षा/चिकित्सा परीक्षण शामिल हैं जिन्हें निर्धारित और आयोजित किया जाएगा।
1.4	लिखित परीक्षा ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड के अंतर्गत केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में आयोजित की जाएगी।
1.5	अपेक्षित पात्रता प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का मूल प्रतियों के साथ सत्यापन पीईटी/पीएसटी दस्तावेजीकरण एवं ट्रेड परीक्षा के समय किया जाएगा।
1.6	भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जाएगी।
1.7	अंतिम परिणाम अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा जो उनकी शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी), शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, विस्तृत चिकित्सा परीक्षण एवं इस अधिसूचना में निर्धारित अन्य शर्तों में अर्हता प्राप्त कर लेने के अधीन होगी।
1.8	परीक्षा के किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड करने की सुविधा केओसुब की वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है की परीक्षा प्रक्रिया पर किसी भी अपडेट और परीक्षा के प्रत्येक चरण के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए नियमित रूप से केओसुब की वेबसाइट पर विजिट करें।
1.9	भर्ती के किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र जारी करना पद के लिए अंतिम चयन नहीं माना जाएगा।
1.10	भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार 10 प्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों को गैर-भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
1.11	आवेदन पत्र के प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो कि 04/03/2025 है, अभ्यर्थी के पात्रता अर्थात आयु/शैक्षिक अर्हता/जाति प्रमाणपत्र/लाइसेंस आदि निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि मान्य होगी।

2.	राष्ट्रीयता/नागरिकता : अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए।
3.	रिक्तियाँ : आरक्षक/चालक तथा आरक्षक/चालक-सह-पम्प ऑपरेटर-2024 की श्रेणीवार रिक्तियाँ निम्नलिखित हैं:-

पद का नाम	श्रेणी						
	यूआर	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	कुल	इएसएम
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ) (च) का 10%
आरक्षक/चालक – सीधी भर्ती	344	126	63	228	84	845	85
आरक्षक/(चालक-सह-पम्प ऑपरेटर) (अर्थात् अग्नि सेवाओं के लिए चालक) – सीधी भर्ती	116	41	20	75	27	279	28
कुल	460	167	83	303	111	1124	113
(प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द : यूआर-अनारक्षित, अजा-अनुसूचित जाति, अजजा-अनुसूचित जनजाति, अपिव-अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस-आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, इएसएम-भूतपूर्व सैनिक, सीटी-आरक्षक, डीवीआर-चालक, डीसीपीओ-चालक-सह-पम्प ऑपरेटर)							
3.1	ऊपर दी गई रिक्तियों की संख्या संभावित हैं, और ये प्रशासनिक कारणों से भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय/स्तर पर बढ़ाई अथवा घटायी जा सकती हैं। रिक्तियों में संशोधन, यदि कोई हो तो, इसे किसी भी चरण में अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले केओसुब भर्ती वेबसाइट अर्थात् https://cisfrectt.cisf.gov.in पर अधिसूचित/दर्शायी जायेगी।						
3.2	पद वर्दीधारी हैं और पूर्णतया अस्थायी हैं परन्तु ये स्थायी किए जा सकते हैं।						
3.3	नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतीय क्षेत्र और विदेश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।						
3.4	अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी के लिए प्रचलित सरकारी आदेशों के अनुसार आरक्षण उपलब्ध है।						
3.5	ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय, अभ्यर्थी अपने आवेदन में पहचान-पत्र (जैसे-आधार संख्या, ड्राईविंग लाईसेंस, वोटर आई.डी. कार्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र अथवा आयकर पैन कार्ड का नंबर) का सही विवरण भरना सुनिश्चित करें। उसी पहचान पत्र को परीक्षा के प्रत्येक चरण के दौरान प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, भर्ती के पहले चरण के दौरान अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया के आगामी चरणों के दौरान अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा।						
3.6	अभ्यर्थियों को उपयुक्त जांच/समीक्षा के लिए पीएसटी/पीईटी, दस्तावेजीकरण एवं ट्रेड परीक्षा के समय अपने सभी मूल शैक्षिक/ड्राईविंग लाईसेंस/जाति प्रमाण-पत्र और अन्य सभी प्रमाण पत्रों को साथ लाना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी पात्रता के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी और उसके निरस्तीकरण के विरुद्ध किसी अन्य दिन दस्तावेजों की जांच करने के लिए किसी भी अपील को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसे भर्ती की आगामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।						
3.7	आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के संबंध में निम्नलिखित विवरण वाले जाति प्रमाण-पत्र को निर्धारित प्रपत्र के अनुसार स्वीकार किया जा सकता है और अभ्यर्थी को उस संबंधित आरक्षित श्रेणी की रिक्ति के अधीन भर्ती प्रक्रिया में बने रहने के लिए अनुमति दी जा सकती है :-						
	(क)	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा संबंधित स्थान/गांव/कस्बा जिससे वे संबंधित हैं।					
	(ख)	उपयुक्त/निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी किया प्रमाण-पत्र।					
	(ग)	जाति प्रमाण पत्र में भारत सरकार के प्रस्ताव को सही तरीके से उल्लिखित किया गया हो जो यह सिद्ध कर सके कि आरक्षित श्रेणी के लिए अभ्यर्थी का दावा वास्तविक है।					
	(घ)	अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र में यथा उल्लेखित जाति उस श्रेणी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित केन्द्रीय सूची में शामिल होनी चाहिए।					
4.	प्रमुख विशेषताएं :						
4.1	आवेदन-पत्रों को ऑनलाइन तरीके से केओसुब की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् https://cisfrectt.cisf.gov.in पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का कोई अन्य तरीका अनुमत नहीं है।						

4.2	नीचे यथा उल्लिखित भर्ती के सभी चरणों के लिए बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र अभ्यर्थियों को केवल केओसुब की भर्ती वेबसाइट अर्थात् https://cisfrectt.cisf.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन रूप से जारी किये जाएंगे जिसे डाउनलोड करने की सुविधा होगी और इन्हें भर्ती के किसी भी चरण के लिए डाक से नहीं भेजा जाएगा। क) पीएसटी/पीईटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा, ख) लिखित परीक्षा, ग) विस्तृत चिकित्सा परीक्षण
4.3	भर्ती निम्नलिखित चरणों में आयोजित की जाएगी :-
	क) पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा।
	ख) ओएमआर/सीबीटी मोड आधारित लिखित परीक्षा जो द्विभाषी अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में होगी।
	ग) विस्तृत चिकित्सा परीक्षण(डीएमई)/ चिकित्सा परीक्षा की समीक्षा (आरएमई)
	टिप्पणी :- क एवं ख पर उल्लेखित दो चरणों अर्थात् पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण व ट्रेड परीक्षा एवं लिखित परीक्षा का क्रम प्रशासनिक कारणों/मौजूदा परिस्थितियों के कारण केओसुब के विवेकानुसार अंतरपरिवर्तित किया जा सकता है।
4.4	वे अभ्यर्थी जो पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण व ट्रेड परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में योग्य पाए जाते हैं उन्हें चिकित्सा परीक्षण (डीएमई/आरएमई) में उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। डीएमई के लिए शॉर्टलिस्ट किये गए अभ्यर्थियों की संख्या, अधिसूचित रिक्तियों की संख्या की लगभग 02 (दो) गुणा होगी।
4.5	भर्ती के प्रत्येक अगले चरण के लिए अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची, केओसुब की भर्ती वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर अपलोड की जाएगी।
4.6	पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण व ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) एवं चिकित्सा परीक्षा सम्पन्न हो जाने के उपरांत अधिसूचित रिक्तियों के समान, लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी।
05.	पात्रता मानदंड
5.1	आयु मानदंड :
5.1.1	21 से 27 वर्ष के बीच। अभ्यर्थियों की आयु सीमा का निर्धारण करने की कट-ऑफ तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात् 04/03/2025 होगी।
5.1.2	केओसुब में आरक्षक (जीडी), आरक्षक (अग्नि), आरक्षक (ट्रेड्समैन) के रैंक में कार्यरत कार्मिकों सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट सामान्य श्रेणी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष तक, अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 45 वर्ष है बशर्ते कि उन्होंने 03 वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो तथा संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो, उनका दंडमुक्त रिकार्ड रहा हो और अपने संपूर्ण सेवा काल के दौरान उनकी न्यूनतम वार्षिक ग्रेडिंग 'औसत' से उपर रही हो।
5.1.3	1984 के दंगों और गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चों और आश्रितों को भी उपरी आयु सीमा में 05 वर्ष तक की छूट प्रदान की गई है। बच्चों से तात्पर्य (क) पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) अथवा (ख) पुत्री (दत्तक पुत्री सहित) से है। परिवार के आश्रित सदस्य से तात्पर्य (क) पति या पत्नी अथवा (ख) बच्चे अथवा (ग) दंगे में मारे गए अविवाहित पीड़ित का वह भाई अथवा बहन पात्र होगा जो पीड़ित की मृत्यु के समय उस पर पूरी तरह से आश्रित था।
	टिप्पणी :-
	1. यह विज्ञापन आरक्षक/चालक एवं आरक्षक/चालक-सह-पम्प ऑपरेटर के पुरुष अभ्यर्थियों की भर्ती से संबंधित है। अतः 1984 के दंगों तथा गुजरात के 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों तथा आश्रितों (पुरुष) के लिए ही भर्ती हेतु विचार किया जाएगा।
	2. इस श्रेणी में ऊपरी आयु सीमा में छूट पाने के लिए, आवेदकों को इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित जिला के कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा जिसके क्षेत्र में पीड़ित मारा गया था।
5.1.4	उपरोक्त के अलावा, सरकारी आदेशों के अनुसार, अ.जा./अ.ज.जा. के संबंध में, उपरी आयु सीमा में 05 वर्ष और अ.पि.व. के मामले में 03 वर्ष की छूट होगी।

5.1.5	अपात्रता :		
	(i)	ऐसा कोई व्यक्ति (क) जिसने उस व्यक्ति के साथ विवाह किया हो अथवा विवाह के लिए अनुबंध किया हो जिनके पति/पत्नी जीवित हो अथवा (ख) जिसका पति/पत्नी जीवित है किसी अन्य से विवाह किया हो अथवा विवाह के लिए अनुबंध किया हो बल में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा बशर्ते कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि यह विवाह ऐसे व्यक्ति तथा अन्य पार्टी के लिए लागू निजी कानून के तहत अनुमत्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दी जा सकती है।	
	(ii)	सरकारी सेवा से बर्खास्तगी।	
5.2	शैक्षिक अर्हता		
5.2.1	अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।		
5.2.2	राज्य बोर्ड/केन्द्रीय बोर्ड के अलावा, अन्य बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ भारत सरकार की अधिसूचना की प्रति संलग्न करें जिसमें वह शैक्षणिक योग्यता केन्द्र सरकार के तहत सेवा हेतु मैट्रिक/दसवीं कक्षा के समकक्ष घोषित की गई हो।		
5.3	ड्राइविंग लाइसेंस		
5.3.1	अभ्यर्थियों के पास निम्न प्रकार के वाहनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए:--		
	क)	भारी मोटर वाहन अथवा यातायात वाहन।	
	ख)	हल्के मोटर वाहन।	
	ग)	गियर सहित मोटरसाइकिल।	
	मोटर वाहन अधिनियम 1988 के निम्नलिखित खंड पर ध्यान दें।		
	(क)	धारा (4) मोटर वाहनों की ड्राइविंग के संबंध में आयु सीमा।	
	(i)	18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चला सकता।	
	(ii)	20 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर यातायात वाहन नहीं चला सकता।	
	(ख)	धारा (7) कुछ वाहनों के लिए लर्नर लाइसेंस देने पर पाबंदी।	
	(i)	किसी भी व्यक्ति को यातायात वाहन चलाने के लिए तब तक लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जा सकता, जब तक उसके पास कम से कम 01 साल के लिए हल्के मोटर वाहन चलाने हेतु ड्राइविंग लाइसेंस न हो।	
	टिप्पणी :	<p>क) यदि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों (ड्राइविंग लाइसेंस) में मोटर वाहन अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस को अवैध समझा जाएगा एवं उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।</p> <p>ख) तथापि, उस स्थिति में जहां विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस की जारी किए जाने की तिथि एक समान है या लाइसेंस पर दर्शाई नहीं गई है, इस संदर्भ में, उक्त अभ्यर्थी को संबन्धित क्षेत्रीय यातायात कार्यालय (आरटीओ) द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त व्यक्ति को जारी किया गया लाइसेंस वैध है तथा उस पर प्रत्येक श्रेणी के लिए लाइसेंस जारी करने की तिथि उल्लेखित हो।</p>	
5.4	अनुभव :		
	भारी मोटर वाहन अथवा यातायात वाहन अथवा हल्के मोटर वाहन और गियरवाली मोटर साइकिल चलाने का 03 वर्ष का अनुभव। उपरोक्त ड्राइविंग के लिए अनुभव को हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) लाइसेंसों के जारी होने की तिथि से गिना जाएगा। पात्रता को निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि अर्थात् 04/03/2025 होगी।		
5.5	शारीरिक मापदंड :		
	क.सं.	श्रेणी	ऊंचाई
	(क)	सामान्य, अनु.जा, ईडब्ल्यूएस व अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए (केवल नीचे (ख) में उल्लेखित को छोड़कर)	167 सेमी
	(ख)	मानकों में छूट :	
	i)	गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा**, डोगरा, मराठा श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के संबंध में परिशिष्ट-‘घ’ के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।	160 सेमी
	ii)	सिक्किम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, एवं जम्मू और कश्मीर राज्यों से संबंधित अभ्यर्थियों हेतु निवास प्रमाण पत्र अथवा परिशिष्ट-‘घ’ के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के विषया अधीन।	78 सेमी के साथ न्यूनतम 05 सेमी फुलाव अर्थात् 78-83 सेमी।

	<p>**गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) से संबंधित अभ्यर्थी सहित दार्जिलिंग जिले के तीन उप-प्रभागों नामतः दार्जिलिंग, कालिमपोंग और कुर्सीयोंग और इन जिलों के निम्नलिखित "मौउजा" उप प्रभाग शामिल हैं:-</p> <p>(1) लोहागढ़ चाय गार्डन (2) लोहागढ़ जंगल (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पनीघेटा (6) छोटा अदलपुर (7) पहारू (8) सुकना जंगल (9) सुकना भाग-1 (10) पंतापति जंगल-1 (11) महानदी जंगल (12) चंपासारी जंगल (13) सलबारी छट पार्ट-II (14) सितोंग जंगल (15) सिवोक पहाड़ी जंगल (16) सिवोक जंगल (17) छोटा चेंगा (18) निपनिया।</p>		
	उपर्युक्त मानक [पैरा 5.5 (ख) (i) एवं (ii)] सभी श्रेणियों (अर्थात् सामान्य, अनु.जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस) पर लागू हैं।		
	(ग) अ.ज.जा. से संबंधित सभी अभ्यर्थी	160 सेमी	76 सेमी के साथ न्यूनतम 05 सेमी फुलाव अर्थात् 76-81 सेमी।
	टिप्पणी:- भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी शारीरिक मानकों में पूरी छूट के पात्र हैं। तथापि, उनके शारीरिक मानक को मापा जाएगा और दस्तावेज में दर्ज किया जाएगा।		
	5.6 चिकित्सा मापदंड :		
5.6.1	चयनित किए गए अभ्यर्थियों की शारीरिक एवं चिकित्सीय दक्षता के आंकलन हेतु चिकित्सा बोर्डों द्वारा चिकित्सीय जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों की चिकित्सीय जांच का आयोजन उनकी शारीरिक एवं चिकित्सीय दक्षता की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय के दिनांक 20 मई, 2015 के यूओ संख्या ए. VI-1/2014-भर्ती (एसएसबी) और गृह मंत्रालय के दिनांक 31 मई, 2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई. 32012/ए/एडीजी(मेडिकल)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए-1/2020 (पार्ट फाइल)/1166 के माध्यम से सीएपीएफ व एआर में जीओ व एनजीओ के लिए जारी भर्ती चिकित्सा परीक्षा दिशा निर्देशों तथा सरकार द्वारा समय-समय पर शारीरिक एवं चिकित्सीय दक्षता के आंकलन हेतु दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसरण में किया जाएगा।		
5.6.2	वजन : चिकित्सीय मानक के अनुसार कद और आयु के अनुपात में। वजन को शारीरिक मापन के समय रिकार्ड किया जाएगा परंतु वजन की वजह से फिटनेस पर निर्णय चिकित्सा परीक्षण के समय किया जाएगा।		
5.6.3	अभ्यर्थी के घुटनों में टकराव न हों, समतल पैर, वेरीकोस वेन अथवा आंखों में भेंगापन न हों। वे अच्छी मानसिक व शारीरिक दशा में हो और किसी भी प्रकार की शारीरिक कमी जिससे उसके कार्य के दक्षतापूर्ण निष्पादन में बाधा पहुंचती हो, उससे मुक्त होना चाहिए।		
5.6.4	नेत्र दृष्टि :		
	क)	बिना सहायता दृष्टि तीक्ष्णता (निकट दृष्टि) बेहतर आंख - एन 6 खराब आंख - एन 6	
	ख)	सुधार के बिना दृष्टि तीक्ष्णता (दूर दृष्टि) बेहतर आंख - 6/6 खराब आंख - 6/6	
	ग)	अपवर्तन किसी भी प्रकार के दृश्य सुधार की अनुमति नहीं है, यहां तक कि चश्मे से भी।	
	घ)	रंग दृष्टि : आईएसआईएचएआरए द्वारा सीपी ।। टिप्पणी : दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि आवश्यक है।	
5.6.5	टैटू : टैटू की अनुमेयता को निश्चित करने के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए गए हैं:-		
	(क) विषय वस्तु : धार्मिक चिह्न अथवा आकृतियों व नाम को दर्शाने वाले टैटू, जैसा की भारतीय सेना में अनुसरण किया जाता है, को अनुमत किया जाता है ।		
	(ख) अवस्थिति : शरीर के पारम्परिक हिस्सों जैसे अग्र भुजा के अंदरूनी हिस्से, लेकिन केवल बाईं अग्रभुजा अथवा हाथ के पिछले हिस्से पर जिसका उपयोग सलामी देने में नहीं किया जाता है, पर खुदे हुए टैटू को अनुमत किया जाता है।		
	(ग) आकार : टैटू का आकार शरीर के विशिष्ट भाग (कोहनी अथवा हाथ) के 1/4 हिस्से से कम होना चाहिए।		

6		भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए योग्यता मापदंड :
6.1		भूतपूर्व सैनिक जो सेना में सिपाही अथवा लांसनायक अथवा वायुसेना अथवा नौसेना में समतुल्य पद पर हैं, जिनके पास पैरा 5.3 में यथा निर्धारित वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, वे आरक्षक/चालक तथा आरक्षक/चालक-सह-पम्प ऑपरेटर पद के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। सेना/वायुसेना/नौसेना में हवलदार/नायक अथवा समतुल्य पदधारक भूतपूर्व सैनिक जिनके पास पैरा 5.3 में यथा निर्धारित ड्राइविंग लाइसेंस है वे भी निम्न पद के लिए भर्ती में भाग ले सकते हैं, बशर्ते वे पात्रता मानदंड को पूरा करते हों और लिखित में यह इच्छा भी प्रस्तुत करें कि उनके चयन होने की स्थिति में वे उस रैंक के समतुल्य पद का दावा नहीं करेंगे जो पद वे रक्षा बलों में धारण किए हुए थे।
		एक 'भूतपूर्व सैनिक' (ईएसएम) से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है; -
	(क)	जिसने भारतीय संघ की नियमित थल, नौ सेना तथा वायु सेना के किसी भी रैंक चाहे वर्दीधारी अथवा गैर वर्दीधारी में सेवा की हो और
	(i)	जो ऐसी सेवा से स्वयं के अनुरोध पर सेवानिवृत्त अथवा कार्यभार मुक्त अथवा डिस्चार्ज कर दिए गए हों अथवा पेंशन प्राप्त कर लने के पश्चात् नियोक्ता द्वारा कार्यभार मुक्त कर दिए गए हों; अथवा
	(ii)	जो रक्षा सेवा पर आरोपित चिकित्सा आधार पर अथवा ऐसी परिस्थितियां जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण सेवा मुक्त हुए हैं और जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेन्शन दी गई हों, अथवा
	(iii)	जो स्थापना में कमी होने के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किये गए हों।
		अथवा
	(ख)	जो ऐसी सेवा से नियुक्ति की एक निश्चित अवधि पूरी करने के बाद उनके स्वयं के अनुरोध करने के अलावा ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किए गए हों अथवा कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्त अथवा सेवामुक्त किए गए हों और उनको उपदान (ग्रेच्युटी) दिया गया हो तथा इसके अंतर्गत क्षेत्रीय सेना के कार्मिक नामतः निरन्तर सेवा वाले पेंशनधारक भी शामिल हैं।
		अथवा
	(ग)	"सेना डाक सेवा" के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं तथा जो पेंशन सहित अपनी मूल सेवा में बिना प्रत्यावर्तन के सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा रक्षा सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से सेवामुक्त हुए हों अथवा विकृति होने पर अथवा ऐसी परिस्थितियों जो उसके नियंत्रण से बाहर हों के कारण तथा जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो।
		अथवा
	(घ)	ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पहले 6 माह से अधिक की अवधि के लिए "सेना डाक सेवा" में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों।
		अथवा
	(ङ)	क्षेत्रीय सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के शौर्य पुरस्कार विजेता।
		अथवा
	(च)	चिकित्सा आधार पर बाहर किए गए अथवा सेवामुक्त तथा चिकित्सा अशक्तता पेंशन प्राप्त।
6.2		आयु: उन्हें अपनी वास्तविक आयु से सेना सेवा की अवधि को घटाने की अनुमति होगी और परिणामी आयु इन पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
6.3		शैक्षणिक योग्यता :
		मैट्रिक अथवा समतुल्य अथवा आर्मी प्रथम श्रेणी अथवा इसके समतुल्य वायु सेना अथवा नेवी का प्रमाण पत्र।
6.4		सेवा मुक्ति के समय चरित्र :
		अनुकरणीय / बहुत बढ़िया। पीएसटी/पीईटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षण के समय विमुक्ति प्रमाण पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की जा सकती है।
6.5		चिकित्सा श्रेणी :
		सेवा मुक्ति के समय 'ए' (ए.वाई.ई.) अथवा "शेप-1" होना चाहिए। उन्हें केओसुब में आरक्षक/चालक एवं आरक्षक/चालक-सह-पम्प ऑपरेटर के पद में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उन्हीं चिकित्सीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
6.6		पात्रता की अन्य शर्तें वही रहेंगी जो पात्रता मानदंड में यथा उल्लेखित हैं तथा अन्वों के लिए लागू हैं।
		टिप्पणी - 1 : भूतपूर्व सैनिक जो अपने पुनः रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए आरक्षण का लाभ उठाने के बाद केन्द्र सरकार के तहत समूह "ग" अथवा "घ" में नियमित आधार पर सिविल में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आरक्षण के लाभों अथवा शुल्क में छूट का दावा करने के पात्र नहीं होंगे। तथापि, वे तदनुसारी रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, यदि उसने सिविल रोजगार में कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत पश्चात् संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिवितियों के लिए आवेदन पत्रों के तिथिवार विवरण के संबंध में स्व-घोषणा/वचनबद्धता जिसका आवेदन उसने प्रारंभिक सिविल रोजगार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले डीओपीटी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/01/2014 स्थापना-2 दिनांक 14.08.2014 में यथा उल्लेख किया गया है।

		टिप्पणी – 2 : सशस्त्र बलों में एक भूतपूर्व सैनिक के लिए 'कॉल अप सेवा' की अवधि को उम्र में छूट के प्रयोजन से सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा के रूप में माना जाएगा।
		टिप्पणी – 3 : संघ के तीनों सशस्त्र बलों के किसी कार्मिक को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के प्रयोजन से एक भूतपूर्व सैनिक के रूप में माना जाना चाहिए, यदि उसने पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय उपयुक्त समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त कर लिया हो और/अथवा वह अपनी अर्जित हकदारी को सक्षम अधिकारी दस्तावेजीय प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर सके कि वह सशस्त्र बलों के साथ काम करने की निश्चित शर्तों को आवेदन पत्र की समाप्ति की तिथि अर्थात् 04/03/2025 से एक वर्ष की निर्धारित अवधि में पूरा कर लेगा।
		टिप्पणी – 4 : भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों और आश्रितों के लिए आयु में छूट लागू नहीं है। इसलिए, ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी ईएसएम के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।
		टिप्पणी – 5 : भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय नागरिक सेवा और पदों में पुनः तैनाती) संशोधन नियमावली, 2012 और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अन्य दिशा-निर्देशों में यथा उल्लिखित भूतपूर्व सैनिकों की पुनः तैनाती के लिए नियम और शर्तें भी लागू होंगी।
		टिप्पणी – 6 : केओसुब में भर्ती के समय भूतपूर्व सैनिकों से कोई शारीरिक दक्षता संबंधी परीक्षा नहीं ली जाएगी। तथापि, भूतपूर्व सैनिकों को पीईटी/पीएसटी के समय मौजूद रहना होगा ताकि अपने माप, दस्तावेजीकरण को रिकार्ड करवा सकें और अपने शैक्षिक प्रमाण-पत्रों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत कर सकें। उन्हें ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सीय जांच में भी उपस्थित रहना होगा और उनमें उत्तीर्ण होना होगा। भूतपूर्व सैनिकों को उपर्युक्त उल्लेखित पैरा 5.6 के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण में पास होना पड़ेगा।
		टिप्पणी – 7 : संघ के सशस्त्र बलों में सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत्त होने पर 'भूतपूर्व सैनिक' की श्रेणी में आते हैं, वे सेवा की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनः रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली सभी छूटों का लाभ ले सकते हैं परंतु वे संघ के सशस्त्र बलों की सेवा की विशिष्ट शर्तों को जब तक पूरा न कर दें उन्हें वर्दी अर्थात् संघ के सशस्त्र बल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित कमान्डिंग अधिकारी से परिशिष्ट – "छ" के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7.		प्रमाणन की प्रक्रिया और प्रमाण पत्रों का प्रपत्र:
	7.1	वे अभ्यर्थी जो आरक्षित रिक्तियों के अधीन आवेदन करना चाहते हैं /अथवा जो आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करना चाहिए। अन्यथा अजा/अजजा/अपिव/ भूतपूर्व सैनिक के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता/आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जाएगा। प्रमाण-पत्रों के प्रारूप इस अधिसूचना के साथ संलग्न किए गए हैं।
	7.2	अपिव के आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाह रहे अभ्यर्थी को यह अवश्य ही सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय प्रमाण-पत्र है और वह निर्णायक कट ऑफ तिथि अर्थात् ऑनलाइन आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता है।
	7.3	ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर लिया जा सकता है। आय एवं परिसंपत्ति के प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने की निर्णायक कट ऑफ तिथि ऑनलाइन आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।
	7.4	उपरोक्त के संबंध में, अभ्यर्थियों को यह भी नोट करना चाहिए कि उनकी अभ्यर्थिता से संबंधित दस्तावेज की सत्यता नियोक्ता प्राधिकारी से जांच किए जाने तक अनंतिम रहेगी। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी यदि वे धोखे से अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग /ईडब्ल्यूएस के स्तर का दावा करते हैं अथवा अन्य लाभ उठाते हैं। अभ्यर्थियों को यह चेतावनी भी दी जाती है कि उन्हें परीक्षा से स्थायी रूप से वंचित कर दिया जाएगा यदि वे धोखे से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /ईडब्ल्यूएस/ईएसएम के स्तर का दावा करते हैं।
	7.5	पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी (डब्ल्यू पी आर) जो कि जम्मू एवं कश्मीर में रह रहे हैं परंतु जिन्हें राज्य के नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया है, उन्हें जम्मू एवं कश्मीर राज्य के नामित प्राधिकारी से रिहायशी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की शर्त के बगैर भर्ती किया जाएगा। डब्ल्यू पी आर के ऐसे बच्चों को इस आशय का प्रमाण पत्र कि व्यक्ति पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी श्रेणी से संबंध रखता है, परिशिष्ट- 'झ' के प्रपत्र के अनुसार गांव के सरपंच/नंबरदार द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के साथ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (चूंकि वे राज्य विधान सभा में वोट देने का अधिकार नहीं रखते हैं) में चुनाव के लिए मतदाता सूची में अभ्यर्थी का नाम दर्शाने वाली मतदाता सूची की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जहां तक उक्त शरणार्थियों में अनुसूचित जातियों का संबंध है, राज्य सरकार ने पहले ही उनके अनुसूचित जाति के स्तर और विशेष रूप से यह दर्शाते हुए प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं कि व्यक्ति राज्य का स्थायी निवासी नहीं है परन्तु गांव में सामान्य रूप से रह रहा है। तदनुसार, इन प्रमाण पत्रों को अनुसूचित जाति के स्तर के रूप में पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी के रूप में माना जाना चाहिए।
8		आवेदन कैसे करें :
	8.1	आवेदन पत्रों को केओसुब की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् https://cisfrect.cisf.gov.in पर ही ऑनलाइन तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए, कृपया इस अधिसूचना के अनुलग्नक- 'I' और 'II' देखें। आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अन्य तरीका अनुमत नहीं है।

8.2	प्रत्येक भर्ती खंड के क्षेत्राधिकार के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नीचे वर्णित हैं:-			
	क.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	भर्ती खंड का नाम	आवेदन प्राप्त करने वाले केन्द्र के नाम पते सहित
	(1)	(2)	(3)	(4)
	1.	चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एवं राजस्थान	उत्तरी खंड	उप महानिरीक्षक, केओसुब (उत्तरी क्षेत्र) मुख्यालय, केओसुब परिसर, पोस्ट-महिपालपुर, नई दिल्ली-110037 (ई मेल आई डी : dignz@cisf.gov.in)
	2.	दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरखंड	एनसीआर खंड	उप महानिरीक्षक, केओसुब आरआरसी एनसीआर क्षेत्र मुख्यालय, केओसुब 5वीं आरक्षित वाहिनी, पोस्ट-शिप्रा सन सिटी, जिला-गाजियाबाद, राज्य-उत्तर प्रदेश-201014 (ई मेल आई डी : rrc-ncrzone@cisf.gov.in)
	3.	दादर व नगर हवेली एवं दमन व दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	पश्चिमी खंड	उप महानिरीक्षक, केओसुब (पश्चिमी क्षेत्र) मुख्यालय, केओसुब परिसर, सेक्टर-35, खारघर, नवी मुंबई - 410 210 (ई मेल आई डी : digwz@cisf.gov.in)
	4.	छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश	मध्य खंड	उप महानिरीक्षक, केओसुब (मध्य क्षेत्र) मुख्यालय, भिलाई, तीसरी आरक्षित वाहिनी परिसर, पोस्ट-उतई, जिला-दुर्ग, राज्य-छत्तीसगढ़-491107 (ई मेल आई डी : digcz@cisf.gov.in)
	5.	बिहार एवं झारखंड	पूर्वी खंड	वरिष्ठ कमाण्डेन्ट, केओसुब द्वितीय आरक्षित वाहिनी, पोस्ट : धुर्वा, जिला : रांची, राज्य : झारखंड - 834004 (ई मेल आई डी : rb-2nd@cisf.gov.in)
	6.	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडू एवं तेलंगाना।	दक्षिणी खंड	उप महानिरीक्षक, केओसुब (दक्षिणी क्षेत्र) मुख्यालय, 'डी' ब्लॉक, राजाजी भवन, बेसन्त नगर, चेन्नै, तमिलनाडू - 600090 (ई मेल आई डी : digsz@cisf.gov.in)
	7.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, सिक्किम, ओडीशा एवं पश्चिम बंगाल	उत्तरी पूर्वी खंड-2	उप महानिरीक्षक, केओसुब (उत्तरी पूर्वी क्षेत्र-2) मुख्यालय, परिसर संख्या 553, पूर्वी कोलकाता टाउनशिप (कस्बा), कोलकाता-107 (ई मेल आई डी : dig-sez@cisf.gov.in)
	8.	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा	उत्तरी पूर्वी खंड	उप महानिरीक्षक, केओसुब (पूर्वोत्तर क्षेत्र) मुख्यालय, बेहरबारी, ए. जी. कॉलोनी के नजदीक, हॉकी स्टेडियम रोड, पोस्ट-बसिस्ता, जिला-कामरूप, असम-781029 (ई मेल आई डी : dignez@cisf.gov.in)
8.3	ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 04/03/2025 (2359 बजे है) ।			
8.4	ऑनलाइन आवेदन पत्र में, अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना अपेक्षित है :- <ul style="list-style-type: none"> ➤ फोटोग्राफ को अपलोड करना - जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही का स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो जिस पर फोटो खींचने की तिथि छपी हो (अर्थात इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं हो)। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। फोटो पर फोटो लेने की तिथि स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए। फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे। धुंधली तस्वीर वाले आवेदन भी अस्वीकार कर दिए जाएंगे। ➤ हस्ताक्षर को अपलोड करना - जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अपठनिय हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। दस्तावेजों को अपलोड करना - अभ्यर्थी को अपनी आयु, शैक्षिक अर्हता और अधिवास प्रमाणपत्र के संबंध में सभी संबंधित दस्तावेजों को पीडीएफ प्रारूप में स्कैन की गई प्रतियों (1 एमबी से अधिक न हो) को अपलोड करना अपेक्षित होगा।			
8.5	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें जिसके आधार पर वे अपनी प्रथम और दूसरी वरीयता देकर आरक्षक/चालक और आरक्षक/चालक-सह-पम्प ऑपरटर के दोनों पदों के लिए उपयुक्त पैरा 1.1 के अनुसार योग्य होंगे।			
8.6	आवेदन पत्र में दर्शाए गए पदों के लिए वरीयता निम्नानुसार हो सकती है :- आरक्षक/चालक (प्रथम वरीयता) आरक्षक/डीसीपीओ (द्वितीय वरीयता) या आरक्षक/डीसीपीओ (प्रथम वरीयता) आरक्षक/चालक (द्वितीय वरीयता)			
8.7	ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले अभ्यर्थियों को यह अवश्य जांच कर लेनी चाहिए कि वे कट ऑफ तिथि अर्थात आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पात्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और उन्होंने प्रपत्र में प्रत्येक कॉलम में सही विवरण भरे हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/परिशुद्धि/संशोधन अनुमत नहीं किया जाएगा। इस संबंध में डाक, फैंक्स, ईमेल, हाथों-हाथ आदि किसी भी रूप में प्राप्त हुए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।			

8.8	अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में सही और सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरना आवश्यक है क्योंकि भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना उन्हें ईमेल/एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।								
8.9	अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन करें और वे अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यधिक लोड के कारण इंटरनेट की संभावित विच्छेदता/लॉग-इन न होना अथवा लॉग-इन में असफलता से बचने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें।								
9.	आवेदन शुल्क :								
9.1	अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और आरक्षित पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क रु.100/- (रुपए एक सौ केवल) लिया जाएगा। अजा/अजजा/ईएसएम से संबंधित अभ्यर्थियों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।								
9.2	शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से नेट बैंकिंग, क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड अथवा रूपे कार्ड और यूपीआई अथवा एसबीआई की शाखाओं में एसबीआई चालान जेनरेट करते हुए नकद के माध्यम से अदा किया जा सकता है। उपर वर्णित तरीकों के अलावा अन्य तरीकों द्वारा भुगतान किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।								
9.3	अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन शुल्क का भुगतान 04/03/2025 (23:59 बजे) तक किया जा सकता है। तथापि, ऐसे अभ्यर्थी जो एसबीआई के चालान के माध्यम से नकद भुगतान करना चाहते हैं, वे इसका भुगतान एसबीआई की शाखाओं में कार्य घंटों के दौरान बैंक में 06/03/2025 तक नकद रूप में कर सकते हैं, बशर्तें उनके द्वारा चालान 04/03/2025 (23:59 बजे) से पहले जेनरेट कर दिया गया हो।								
9.4	एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही उसे किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।								
9.5	बैंक के लिए यथालागू शुल्क के अलावा प्रशुल्क/कर प्रभार को अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा।								
10	परीक्षा में प्रवेश :								
10.1	वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तिथि और समय रहते स्वयं का पंजीकरण करते हैं और जिनके आवेदन पत्र अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं और वे इस अधिसूचना के नियमों और शर्तों के अनुसार सही पाए जाते हैं, उन्हें अनुक्रमांक प्रदान किए जाएंगे और उन्हें पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण व ट्रेड परीक्षा में बुलाने के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। तदनुसार, अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरणों के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।								
10.2	विभाग पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण/ट्रेड परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच करेगा। इसलिए, अभ्यर्थिता को केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को स्वयं शैक्षिक अर्हताओं एवं अन्य पात्रता मानदंडों के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें यह स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कट ऑफ तिथि अर्थात् आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को पद के लिए पात्र हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में किए गए किसी दावे की पुष्टि भर्ती की समग्र प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद भी नहीं होती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।								
10.3	अभ्यर्थियों को, कोई भी पत्र भेजते समय अपना नाम, जन्म तिथि और परीक्षा के नाम के साथ अपनी पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के बिना अभ्यर्थियों के पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा।								
10.4	पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा को केंद्रों की वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर अग्रिम उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल/केंद्र पर ई-प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट अवश्य लेकर आना होगा।								
10.5	वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड न होने के मामले में, अभ्यर्थियों को पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा, अथवा चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) से कम से कम एक सप्ताह पहले केंद्रों से संपर्क करना चाहिए।								
10.6	प्रवेश पत्र के अलावा, चार नवीनतम पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो जिस पर फोटो लेने की तिथि विधिवत रूप से उल्लेखित (अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं) हो और एक मूल वैध फोटो आईडी प्रमाण जिस पर जन्म तिथि भली-भांति प्रिन्ट की हुई हो जैसे आधार कार्ड/ई आधार कार्ड का प्रिंट आउट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता आईडी कार्ड, (सरकारी/पीएसयू) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) डिस्चार्ज बुक या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो वाला अन्य पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।								
10.7	प्रवेश पत्र में उल्लेखित अन्य कोई दस्तावेज भी अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होते समय लाना होगा।								
11	भर्ती प्रक्रिया :								
11.1.	हाईट बार टेस्ट (एचबीटी)								
11.1.1	सभी अभ्यर्थी जिनके आवेदन अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं और सही पाए जाते हैं उन्हें प्रथम चरण की भर्ती प्रक्रिया जैसे पीईटी/पीएसटी, दस्तावेज सत्यापन और ट्रेड परीक्षण में उपस्थित होने के लिए अनुक्रमांक जारी किए जाएंगे। इन्हें विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को हाईट बार टेस्ट (एचबीटी) से गुजरना होगा।								
11.1.2	हाईट बार टेस्ट में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के बाद शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) से गुजरना होगा।								
11.2	शारीरिक दक्षता परीक्षा :								
11.2.1	जो अभ्यर्थी हाईट बार टेस्ट (एचबीटी) शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) में योग्य पाए जाते हैं, उनको निम्नलिखित शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) से गुजरना होगा, जो अर्हक प्रकार की होगी :-								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>पीईटी स्पर्धाएं</th> <th>मानक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>800 मीटर दौड़</td> <td>3 मिनट 15 सेकेंड में</td> </tr> <tr> <td>लंबी कूद</td> <td>11 फीट (03 अवसर)</td> </tr> <tr> <td>उंची कूद</td> <td>3 फीट 6 इंच (03 अवसर)</td> </tr> </tbody> </table>	पीईटी स्पर्धाएं	मानक	800 मीटर दौड़	3 मिनट 15 सेकेंड में	लंबी कूद	11 फीट (03 अवसर)	उंची कूद	3 फीट 6 इंच (03 अवसर)
पीईटी स्पर्धाएं	मानक								
800 मीटर दौड़	3 मिनट 15 सेकेंड में								
लंबी कूद	11 फीट (03 अवसर)								
उंची कूद	3 फीट 6 इंच (03 अवसर)								
11.2.2	अभ्यर्थियों को पीईटी की प्रत्येक स्पर्धा में अर्हता प्राप्त करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी पीईटी की तीन में से किसी भी स्पर्धा में अर्हता प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे पीईटी/पीएसटी बोर्ड द्वारा अनुत्तीर्णता का कारण बताकर रिजेक्शन स्लिप देते हुए भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा और उसे भर्ती की अगली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।								

11.2.3	पीईटी में कोई अपील नहीं होगी।
11.3	शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) — वे अभ्यर्थी जो हाईटबार परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनकी अधिकारियों के बोर्ड द्वारा कद, सीना और वजन के लिए स्कीनिंग की जाएगी। आरक्षक/चालक एवं डीसीपीओ पद के लिए शारीरिक मानक के बारे में ऊपर पैरा 5.5 में विस्तार से बताया गया है।
11.3.1	ऊपर उल्लेखितानुसार कद और सीना (जैसा भी मामला हो) में छूट केवल उस जिले जहां वह आमतौर पर रहते हैं, के सक्षम प्राधिकारियों से परिशिष्ट-घ में निर्धारित प्रारूप में पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण/ट्रेड परीक्षा के समय अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही स्वीकार्य होगी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी वैध मूल अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर छूट का लाभ उठा सकते हैं।
11.3.2	जिन अभ्यर्थियों को शारीरिक मानकों जैसे कद और सीने में अयोग्य घोषित किया जाता है, वे उसी दिन, यदि वे चाहें तो, पीठासीन अधिकारी (पीओ) के माध्यम से केंद्र के लिए नामित अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके बाद इस संबंध में किसी भी अपील या अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
11.3.3	निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी अस्वीकृति पर्वी देकर भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा। तथापि, वजन के आधार पर हटाने की प्रक्रिया विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई/आरएमई) के समय की जाएगी। शारीरिक मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही भर्ती प्रक्रिया के अगले स्तर में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
11.4	दस्तावेजीकरण :
11.4.1	एचबीटी और पीईटी/पीएसटी उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी। वे अभ्यर्थी जो अपेक्षित मूल दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा कारण बताते हुए निरस्त करने संबंधी स्लिप देते हुए भर्ती संबंधी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।
क)	शैक्षिक प्रमाण पत्र
ख)	जन्म प्रमाण पत्र की तिथि (मैट्रिक अथवा दसवीं पास होने का प्रमाण पत्र)
ग)	वैध भारी मोटर वाहन/यातायात, हल्के मोटर वाहन और गियर वाली मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस।
घ)	अजा/अजजा और अपिव और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यदि लागू हो। यह क्रमशः परिशिष्ट क, ख एवं ग में यथा निर्धारित प्रपत्र में होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो विज्ञापन सूचना में दर्शाए गए अनुसार नहीं है उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ङ)	कद और सीने में छूट के लिए अनुरोध करने वाले गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठों की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों को परिशिष्ट-घ में दिए गए प्रपत्र/प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तथापि, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्यों से संबंधित अभ्यर्थियों को कद और सीने में छूट पाने के लिए अपने जिले के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास /पीआरसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
च)	केओसुब सहित विभागीय अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से परिशिष्ट -'ड.' के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
छ)	सेवारत रक्षा कर्मियों के मामले में कार्यभार विमुक्ति प्रमाण-पत्र/प्रमाण एवं वचनबद्धता परिशिष्ट-च के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी।
ज)	भूतपूर्व सैनिक कोटा के तहत आवेदन करने वाले सेवारत कर्मियों को परिशिष्ट-'छ' में दिए गए प्रपत्र/प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
झ)	भूतपूर्व सैनिकों के मामले में परिशिष्ट-'ज' के अनुसार वचनबद्धता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
ञ)	जम्मू एवं कश्मीर राज्य में रह रहे डब्ल्यू. पी. आर. (पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी) के लिए पहचान प्रमाण पत्र परिशिष्ट-'झ' के अनुसार, जिसकी चुनावों की मतदाता सूची में अभ्यर्थी के नाम को दर्शाने वाली मतदाता सूची की प्रति संलग्न हो।
ट)	अभ्यर्थी की चार नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो जिस पर फोटो लेने की तिथि विधिवत रूप से अंकित हो (अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं हो।)
ठ)	मूल प्रमाण पत्रों के अलावा अभ्यर्थी शैक्षणिक, जाति और ड्राइविंग लाइसेंस के प्रमाण-पत्रों आदि की स्वतः प्रमाणित की हुई फोटो प्रतियां भी साथ लाएंगे।
ड)	1984 के दंगों अथवा गुजरात के 2002 के साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों एवं आश्रितों के मामले में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र।
ढ)	अभ्यर्थियों को अपने साथ मूल रूप में ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर पैन कार्ड जैसे फोटो युक्त पहचान पत्र के प्रमाण लाने चाहिए जिसका विवरण उसने अपने आवेदन-पत्र में उल्लेखित किया है/भरा है।
ण)	अभ्यर्थी की पहचान की जांच प्रवेश पत्र के साथ-साथ पहचान पत्रों जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र अथवा आयकर पैन कार्ड नंबर के आधार पर अधिकारियों के बोर्ड द्वारा पीईटी/पीएसटी/दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के समय उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए पहचान पत्रों से की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों के बायोमैट्रिक क्रेडेंशियल (एलटीआई/आरटीआई/फिंगर्स इंप्रेशन) को पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा आयोजित करने से पहले पंजीकृत किया जाएगा जिसका उपयोग भर्ती की आगामी सभी चरणों में किया जाएगा।
11.5	ट्रेड परीक्षा :

11.5.1	<p>ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजीकरण में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनकी ट्रेड परीक्षा निम्नलिखित परीक्षाओं के माध्यम से कराई जाएगी। कोई भी अभ्यर्थी जो प्रत्येक के सामने दर्शाए गए इन परीक्षणों में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त नहीं कर पाता है, उन्हें रिजेक्शन स्लिप देकर उस विशिष्ट चरण से बाहर कर दिया जाएगा और उसे भर्ती की अगली प्रक्रिया में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क.सं.</th> <th>परीक्षा का नाम</th> <th>कुल अंक</th> <th>अर्हक अंक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>हल्के वाहनों के लिए ड्राइविंग परीक्षा</td> <td>50</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>भारी वाहनों के लिए ड्राइविंग परीक्षा</td> <td>50</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>मोटर प्रणाली की व्यवहारिक जानकारी और वाहनों की हल्की मरम्मत करने की योग्यता।</td> <td>30</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>नोट :-ट्रेड परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक अभ्यर्थी की मैरिट के स्थान को निर्धारित नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेड परीक्षा केवल अर्हक प्रकार की है। तथापि, अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किए जाने चाहिए ताकि वह भर्ती में आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सके।</p>	क.सं.	परीक्षा का नाम	कुल अंक	अर्हक अंक	1.	हल्के वाहनों के लिए ड्राइविंग परीक्षा	50	25	2.	भारी वाहनों के लिए ड्राइविंग परीक्षा	50	25	3.	मोटर प्रणाली की व्यवहारिक जानकारी और वाहनों की हल्की मरम्मत करने की योग्यता।	30	15															
क.सं.	परीक्षा का नाम	कुल अंक	अर्हक अंक																													
1.	हल्के वाहनों के लिए ड्राइविंग परीक्षा	50	25																													
2.	भारी वाहनों के लिए ड्राइविंग परीक्षा	50	25																													
3.	मोटर प्रणाली की व्यवहारिक जानकारी और वाहनों की हल्की मरम्मत करने की योग्यता।	30	15																													
11.6	लिखित परीक्षा : (ओएमआर/सीबीटी)																															
11.6.1	जो अभ्यर्थी पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें ही ओएमआर/कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड के तहत लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा।																															
11.6.2	<p>लिखित परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न-पत्र होगा जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे, जिसकी संरचना निम्नलिखित होगी:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भाग</th> <th>विषय</th> <th>प्रश्नों की संख्या</th> <th>अधिकतम अंक</th> <th>अवधि/समय सीमा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>भाग-ए</td> <td>सामान्य ज्ञान/जागरूकता</td> <td>20</td> <td>20</td> <td rowspan="5">120 मिनट</td> </tr> <tr> <td>भाग-बी</td> <td>प्रारंभिक गणित का ज्ञान</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>भाग-सी</td> <td>विश्लेषणात्मक योग्यता</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>भाग-डी</td> <td>समझने एवं भेद करने की क्षमता</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>भाग-ई</td> <td>अंग्रेजी/हिंदी का बुनियादी ज्ञान</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>कुल</td> <td>100</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि/समय सीमा	भाग-ए	सामान्य ज्ञान/जागरूकता	20	20	120 मिनट	भाग-बी	प्रारंभिक गणित का ज्ञान	20	20	भाग-सी	विश्लेषणात्मक योग्यता	20	20	भाग-डी	समझने एवं भेद करने की क्षमता	20	20	भाग-ई	अंग्रेजी/हिंदी का बुनियादी ज्ञान	20	20		कुल	100	100	
भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि/समय सीमा																												
भाग-ए	सामान्य ज्ञान/जागरूकता	20	20	120 मिनट																												
भाग-बी	प्रारंभिक गणित का ज्ञान	20	20																													
भाग-सी	विश्लेषणात्मक योग्यता	20	20																													
भाग-डी	समझने एवं भेद करने की क्षमता	20	20																													
भाग-ई	अंग्रेजी/हिंदी का बुनियादी ज्ञान	20	20																													
	कुल	100	100																													
11.6.3	सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा केवल ओएमआर/ कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड के तहत अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में आयोजित की जाएगी। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।																															
11.6.4	<p>अगले चरण अर्थात् चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) के लिए अर्हता के लिए अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता निम्नानुसार होगी:-</p> <p>सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ईएसएम : 35 % अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व : 33 %</p> <p>टिप्पणी - सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ईएसएम के लिए 35 प्रतिशत और अजा/अजजा/अपि.व के लिए 33 प्रतिशत अर्हक अंक से यह तात्पर्य नहीं है कि जिन अभ्यर्थियों ने क्रमशः 35 प्रतिशत और 33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लिए होंगे, उन्हें अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। अगले चरण के लिए अभ्यर्थियों को पूर्णतया लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन/अर्जित किए गए अंकों और लिखित परीक्षा के पूरा होने के पश्चात निर्धारित किए जाने वाले कट-ऑफ अंक (श्रेणीवार) के आधार पर बुलाया जाएगा।</p>																															
11.6.5	परीक्षा की तिथि की सूचना अभ्यर्थियों को केवल केओसुब की भर्ती वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in के माध्यम से दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में लिखित परीक्षा की तिथि/ केंद्र बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।																															
11.6.6	लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन/पुनः जांच अथवा लिखित परीक्षा का पुनः आयोजन करवाने के किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।																															
11.6.7	परीक्षा के बाद लिखित परीक्षा की संभावित उत्तर कुंजी केओसुब की वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी देख सकते हैं और निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रति प्रश्न 100 रुपये का भुगतान करके, ऑन लाईन अभ्यावेदन, यदि कोई हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति रु.100/-का भुगतान करके निर्धारित तय सीमा के भीतर ऑनलाईन अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से जैसे-पत्र, आवेदन पत्र आदि के माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप देने से पहले उत्तर कुंजियों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों की विशेषज्ञों के पैनल द्वारा जांच की जाएगी और इस संबंध में विशेषज्ञों का निर्णय अंतिम होगा।																															
11.6.8	लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में प्रश्न 10वीं कक्षा के स्तर के होंगे।																															
11.6.9	अभ्यर्थियों को मोबाइल फोन, कैल्कुलेटर और किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक/इलेक्ट्रिक उपकरणों को परीक्षा केन्द्र के अन्दर प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए, अभ्यर्थियों को परीक्षा परिसरों में इन उपकरणों को नहीं लाना चाहिए। चालू अथवा बंद हालत में इन उपकरणों के पकड़े जाने पर परीक्षा में इसे 'अनुचित साधनों के प्रयोग' के तौर पर लिया जाएगा, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।																															
11.6.10	यदि लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) दो या अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को																															

		सामान्यीकृत किया जाएगा तथा ऐसे सामान्यीकृत अंकों का उपयोग, भर्ती के अगले चरण अर्थात् चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) के लिए योग्यता हेतु मेरिट सूची और कट ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।
11.6.11		सभी अभ्यर्थियों की पहचान लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) से पहले पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा के समय पंजीकृत बायोमेट्रिक साक्ष्यों से सत्यापित की जाएगी।
11.7		चिकित्सा परीक्षण :
11.7.1		केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षण (डीएमई/आरएमई) में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा जिन्होंने दोनों चरणों अर्थात् पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण एवं ट्रेड परीक्षा और लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली है। चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की लगभग 2 (दो) गुणा होगी। तथापि, बुलावा पत्र भेजने और चिकित्सा परीक्षण (डीएमई/आरएमई) में फिट घोषित किए जाने का तात्पर्य यह नहीं है कि अभ्यर्थी का चयन अंतिम रूप से हो गया है। इसलिए ऐसे आधार पर चयन के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
11.7.2		चयनित अभ्यर्थियों के शारीरिक और चिकित्सीय फिटनेस का आकलन करने के लिए चिकित्सा बोर्डों द्वारा उनकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों की चिकित्सीय जांच, सीएपीएफ और असम राइफल्स में राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए भर्ती चिकित्सा परीक्षा हेतु समान दिशा-निर्देशों के संबंध में, गृह मंत्रालय के दिनांक 20 मई, 2015 के यूओ संख्या ए. VI-1/2014-भर्ती (एसएसबी) और गृह मंत्रालय के दिनांक 31 मई, 2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई. 32012/ए/एडीजी(मेडिकल)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए-1/2020 (पार्ट फाइल)/1/1166 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी।
11.7.3		अभ्यर्थी फिट या अनफिट घोषित किए जाएंगे। कोई भी अभ्यर्थी अस्थायी रूप से अनफिट घोषित नहीं किया जाएगा।
11.7.4		सभी मामलों में, एक अभ्यर्थी जिसे नियुक्ति के लिए चिकित्सा परीक्षा में चिकित्सकीय रूप से अनफिट घोषित किया गया है, को जांच चिकित्सा अधिकारी द्वारा, लिखित रूप में विस्तार से अस्वीकृति के कारणों के बारे में सूचित किया जाएगा। विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के दौरान अयोग्य घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षा की समीक्षा (आरएमई) करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे अनफिट होने के कारणों की सूचना पर अपने हस्ताक्षर करके अपनी लिखित सहमति दें। अभ्यर्थियों का आरएमई, डीएमई के अगले दिन अधिमानतः डीएमई के अगले दिन आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित आरएमई के लिए सहमति, अभ्यर्थी द्वारा डीएमई में अपनी अयोग्यता के बारे में सूचित किए जाने के 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।
11.8		अंतिम चयन सूची के निर्धारण/आहरण का माध्यम :
11.8.1		पीईटी/पीएसटी, दस्तावेजीकरण एवं ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) के संपन्न होने के पश्चात्, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अपिब, ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए कुल अंकों और प्रत्येक पद के लिए आबंटित रिक्तियों की संख्या के आधार पर श्रेणी-वार मेरिट सूची अलग से तैयार की जाएगी। चूंकि दो पदों अर्थात् आरक्षक/ड्राईवर और आरक्षक/चालक-सह-पम्प ऑपरेटर के लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं, पदों के लिए आबंटित मेरिट सह वरियता के आधार पर किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी के साथ अपनी वरीयताओं को चुनें।

11.8.2	टाई मामलों का समाधान : लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंकों के बराबर होने की स्थिति में, ऐसे मामलों का समाधान नीचे दिए गए क्रम में एक के बाद एक, मानदंडों को लागू करके तब तक हल किया जाएगा, जब तक कि टाई का समाधान नहीं हो जाता:
क)	अभ्यर्थियों की उम्र का हवाला देकर टाई को हल किया जाएगा अर्थात् ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी;
ख)	यदि फिर भी टाई का समाधान नहीं होता है, तो अभ्यर्थियों की लम्बाई की तुलना करके समाधान किया जाएगा अर्थात् जिस अभ्यर्थी की लम्बाई अधिक होगी उसको वरीयता दी जाएगी;
ग)	यदि फिर भी बराबरी रहती है, तो इसका समाधान अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता के द्वारा किया जाएगा अर्थात् उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
घ)	यदि फिर भी टाई का समाधान नहीं होता है, तो अंततः नाम के वर्णानुक्रम के अनुसार समाधान किया जाएगा अर्थात्: वर्णानुक्रम (अंग्रेजी) के अनुसार जिस अभ्यर्थी के नाम का पहला अक्षर दूसरे अभ्यर्थी के नाम के पहले अक्षर से पहले आएगा उसे वरीयता दी जाएगी।
11.8.3	बशर्ते अ.जा., अ.ज.जा. अ.पि.व. और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी जो बिना छूट के अपनी मैरिट सूची में चयनित होते हैं, वे रिक्तियों के आरक्षित हिस्से के अधीन समायोजित नहीं किए जाएंगे। ऐसे अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व. और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को समग्र मैरिट सूची में उनकी स्थिति के अनुसार सामान्य श्रेणी की रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को योग्य अजा, अजजा, अपिव और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों में से अलग से भरे जाएंगे, जो कि इस प्रकार अजा, अजजा, अपिव और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी जिनकी मैरिट अनारक्षित वर्ग की मैरिट सूची के अंतिम सामान्य अभ्यर्थी से कम होगी, बशर्ते वह आरक्षित मानको द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता हो।
11.8.4	परीक्षा में सफलता तब तक नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करती है, जब तक कि विभाग इस तरह की जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
11.8.5	अंतिम चयन सूची/परिणाम सीआईएसएफ की भर्ती वेबसाइट अर्थात् https://cisfrectt.cisf.gov.in पर प्रदर्शित किया जाएगा।
	टिप्पणी :
क)	परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि अर्थात् इस नोटिस की अंतिम तिथि के अनुसार सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। उनका परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर प्रवेश पूर्णतः अनंतिम और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा। यदि पीईटी/पीएसटी और दस्तावेजीकरण, ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा जांच (डीएमई/आरएमई) से पहले या बाद में किसी भी समय जांच में यह पाया जाता है कि वे किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी परीक्षा के लिए अभ्यर्थिता विभाग द्वारा निरस्त कर दी जाएगी।
ख)	यदि कोई अभ्यर्थी, भर्ती प्रक्रिया के दौरान, किसी भी समय किसी भी आधार पर अयोग्य पाया जाता है या तथ्यों को छुपाता है, उसकी अभ्यर्थिता /चयन/नियुक्ति तदनुसार निरस्त की जा सकती है।
ग)	कोई प्रतीक्षा सूची नहीं रखी/बनाई जाएगी।
12	निर्णय: पात्रता, आवेदन पत्रों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, गलत सूचना के लिए जुर्माना, चयन प्रक्रिया, (परीक्षाओं का आयोजन) परीक्षा लेना, परीक्षा केन्द्रों का आबंटन और मैरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड/विभाग के निर्णय अंतिम होंगे और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होंगे तथा इस संबंध में कोई जांच पड़ताल/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
13	न्यायालय क्षेत्राधिकार : इस भर्ती के संबंध में कोई विवाद उस शहर/कस्बे के न्यायालय/अधिकरण के अधीन होगा जिसके क्षेत्राधिकार में कैओसुब का संबंधित भर्ती केन्द्र आता है अथवा जहां अभ्यर्थी ने अपना आवेदन जमा करवाया है।
14	अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश :
14.1	यदि विभिन्न श्रेणियों में ड्राईविंग लाइसेंस जारी करने की तारीख एक ही है या लाइसेंस में उल्लेखित नहीं है तो इस संबंध में, ऐसे अभ्यर्थी को संबंधित क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) से जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें जारी किया गया

		लाईसेंस वैध है, जिसमें प्रत्येक श्रेणी में लाईसेंस जारी करने की तारीख का विधिवत उल्लेख हो।
14.2		दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) इस भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
14.3		अभ्यर्थियों को अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम अपने दसवीं के प्रमाण पत्र में दिए गए अनुसार लिखना चाहिए अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता दस्तावेजों की जांच के बाद या फिर जब कभी संज्ञान में आएगा तो रद्द कर दी जाएगी।
14.4		अपूर्ण सूचना/गलत सूचना/अधूरे अपेक्षित प्रमाण पत्र/तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने/अहस्ताक्षरित छोड़ देने/ देय शुल्क के बिना जमा करने के कारण आवेदन को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
14.5		किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके फर्जी/मनगढ़त आवेदन/पंजीकरण के मामले में, ऐसे अभ्यर्थी/साइबर कैफे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और वह साइबर/आईटी अधिनियम के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
14.6		यदि कोई अभ्यर्थी पीईटी के दौरान किसी शक्तिवर्धक दवाई/औषधि आदि के प्रभाव में पाया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल रद्द कर दी जाएगी।
14.7		अभ्यर्थी आवेदन भरने और पीएसटी/पीईटी/दस्तावेजीकरण, ट्रेड टेस्ट, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) आदि के संबंध में स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, के लिए हेल्प लाइन नंबर 011-24366431/24307933 (1000-1800 बजे के बीच केवल कार्यरत दिनों) पर संपर्क कर सकते हैं।
14.8		विभाग को विज्ञापन में कोई भी परिवर्तन करने या बिना कोई कारण बताए उसे रद्द करने का अधिकार है। इसके अलावा, यहां उल्लेखित सभी शर्तें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
14.9		भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अपनी व्यवस्था के तहत 2-3 दिनों तक ठहरने के लिए विधिवत रूप से तैयार होकर आना चाहिए। यात्रा और ठहरने के लिए कोई टीए/डीए देय नहीं होगा।
14.10		अभ्यर्थी ध्यान दें कि वे एक वर्दीधारी बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और उन्हें उचित शारीरिक/मानसिक तैयारी के साथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए और वे भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होने वाली किसी भी घटना/दुर्घटना के लिए पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार होंगे। ऐसी किसी भी अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए भर्ती एजेंसी/केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थी अपने जोखिम पर भर्ती प्रक्रिया में भाग लेंगे।
14.11		अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भर्ती के लिए आने से पहले दौड़/पीईटी के लिए पर्याप्त अभ्यास करें। उन्हें आगे सलाह दी जाती है कि वे दिए गए समय में निर्दिष्ट दूरी को दौड़ने के लिए अपनी उपयुक्तता के संबंध में अपना चिकित्सकीय परीक्षण करवाएं। भर्ती प्रक्रिया/परीक्षा के दौरान किसी भी चोट/दुर्घटना या चिकित्सा समस्या के लिए केओसुब या भारत सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।
14.12		किसी भी प्रकार का अनुयाचन अथवा किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव डालने पर अभ्यर्थियों को स्वतः ही बिना किसी सूचना के परीक्षा में बैठने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
14.13		पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने, चयन के तरीके, परीक्षाओं के संचालन और परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, ट्रेड परीक्षा का तरीका/प्रक्रिया चिकित्सीय परीक्षण आदि से संबंधित सभी मामलों में विभाग का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
14.14		यदि कोई अभ्यर्थी अपने चयन/नियुक्ति के बाद किसी भी आधार पर सेवा के लिए अयोग्य/अपात्र पाया जाता है, तो उसकी सेवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी।
14.15		यदि कोई भी अभ्यर्थी पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में या उसके बाद कदाचार के किसी भी कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और वह उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
14.16		महानिदेशक, केओसुब बिना कोई कारण बताए भर्ती में बदलाव करने या रद्द करने या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
14.17		इस नोटिस में रेखांकित निर्देशों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
14.18		भर्ती के विभिन्न चरणों में सफल होना तब तक नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करता जब तक कि विभाग विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में जांच और ऐसी पूछताछ से संतुष्ट न हो जिससे कि अभ्यर्थी को सेवा/पद में नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया है।

14.19	चयनित अभ्यर्थियों को केओसुब के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में मूलभूत प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होना होगा जिसके लिए उन्हें अलग से नियुक्ति पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा। वे 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पर होंगे जिसे बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा अवधि के दौरान, यदि वे किसी कारण से अनफिट पाए जाते हैं, तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
14.20	इस भर्ती के संबंध में नियमित ताजा जानकारी के लिए कृपया https://cisfrectt.cisf.gov.in पर जाएं।

दलालों से सावधान रहें। केओसुब में भर्ती के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यदि आपने भुगतान किया है या किसी को पैसे देने का वादा किया है तो आपको धोखा दिया जा रहा है और आप पैसे खो रहे हैं। यदि कोई आपके चयन के लिए पैसे की मांग करता है, तो तुरंत भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और संबंधित भर्ती केन्द्र के उप महानिरीक्षक को सूचित करें या ई-मेल के माध्यम से उस व्यक्ति का नाम ac-rectt@cisf.gov.in पर सूचित करें।

XXXXXXXX

(ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

I.	वन टाईम रजिस्ट्रेशन
II.	परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना
भाग -1 (वन टाइम रजिस्ट्रेशन)	
<p>अभ्यर्थी के लिए वन टाईम रजिस्ट्रेशन एक स्थायी डेटाबेस होगा। केओसुब द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का ही उपयोग किया जाएगा। ऑनलाइन 'पंजीकरण फॉर्म' और 'आवेदन पत्र' भरने से पहले परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।</p>	
पहली बार रजिस्ट्रेशन कैसे करें :-	
1.	केओसुब की आधिकारिक वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2.	होम पेज प्रदर्शित हो जाएगा। "लॉगिन" बटन पर क्लिक करें।
3.	नया पेज प्रदर्शित होगा। "नया पंजीकरण" बटन पर क्लिक करें।
4.	वन टाईम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है:
	<p>क. मूल विवरण ख. अतिरिक्त और संपर्क विवरण ग. घोषणा।</p>
5.	'वन टाईम रजिस्ट्रेशनफॉर्म' भरने के लिए, कृपया निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
क.	कुछ महत्वपूर्ण विवरण (जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या आदि) को पंजीकरण फॉर्म के संबंधित कॉलम में दो बार दर्ज करने की आवश्यकता होती है ताकि फॉर्म भरने में अनजाने में हुई गलतियों से बचा जा सके। यदि मूल और सत्यापित डाटा कॉलम के आंकड़ों में मेल नहीं है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस आशय का एक अलग संकेत बाक्स दिया जाएगा।
ख.	अपना नाम ठीक वैसे ही भरें, जैसे मैट्रिकुलेशन (10 वीं कक्षा) के प्रमाण पत्र में हैं। यदि, मैट्रिकुलेशन के बाद आपने अपने नाम में कोई परिवर्तन किया है तो उसका उल्लेख करें।
ग.	अपने पिता का नाम ठीक वैसे भरें, जैसे मैट्रिकुलेशन (10 वीं कक्षा) के प्रमाण पत्र में हैं।
घ.	अपनी माता का नाम ठीक वैसे भरें।
ङ.	अपनी जन्मतिथि ठीक वैसे ही भरें जैसे मैट्रिकुलेशन (10 वीं कक्षा) प्रमाणपत्र में दी गई है।
च.	अपने लिंग के बारे में जानकारी प्रदान करें।
छ.	सबमिट बटन पर क्लिक करें। नया पृष्ठ प्रदर्शित हो जाएगा।
ज.	अपना व्यक्तिगत विवरण जांचें और मूल विवरण भरें।
झ.	अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी भरें। यह भी नोट कर लें कि कोई भी सूचना जिसे विभाग ईमेल के माध्यम से आपको संप्रेषित करेगा, वह केवल आपके द्वारा प्रदान की गई ईमेल-आईडी पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो पासवर्ड/पंजीकरण संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए भी उसी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
ञ.	'घोषणापत्र' को ध्यान से पढ़ें, अगर आप घोषणापत्र से सहमत हैं तो 'फाइनल सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
ट	पुष्टि होने पर, आपका डाटा सहेज लिया जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल पर भी भेज दिया जाएगा।
ठ.	अपनी पंजीकरण-संख्या को "यूजरनेम" के रूप में और आपके ईमेल और मोबाइलनम्बर पर प्रदान किए गए "ऑटो-जेनरेटेड पासवर्ड" का उपयोग करके लॉगिन करें।
टिप्पणी :-	
<p>आपको पुनः सावधान किया जाता है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिकुलेशन परीक्षा का विवरण ठीक वैसे ही भरा जाना चाहिए जैसा कि मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज किया गया है। त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी के मामले में आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।</p>	

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन पत्र)

1.	ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, निम्नलिखित डाटा तैयार रखें :
क)	जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही में स्कैन किया गया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो जिस पर फोटो लेने की तिथि विधिवत रूप से अंकित हो (अर्थात् परीक्षा की सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना नहीं हो)। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। जिस तारीख को फोटो खींची गई है, वह फोटो पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए। फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। धुंधली तस्वीर वाले आवेदन-पत्र भी खारिज कर दिए जाएंगे।
ख)	जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अपठनीय हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
ग)	पीडीएफ प्रारूप(01 एमबी से अधिक नहीं)में सभी संबंधित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां, उम्र के संबंध में (अर्थात् जन्म प्रमाण-पत्र या मैट्रिक / एसएसएलसी/10 वीं प्रमाण पत्र, मूल निवास और अन्य शैक्षणिक योग्यता की तारीख) अपलोड करें।
2.	पंजीकृत अभ्यर्थी के औसुब भर्ती वेबसाइट अर्थात् https://cisfrectt.cisf.gov.in में पंजीकरण के समय प्राप्त अपने "अंतिम पंजीकरण आईडी और पासवर्ड" के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं।
3.	के औसुब की भर्ती वेबसाइट अर्थात् https://cisfrectt.cisf.gov.in पर लॉग ऑन करें और "आरक्षक (चालक एवं डीसीपीओ)2024" टैब पर क्लिक करें।
4.	आवश्यक विवरण जैसे 'पंजीकरण आईडी', 'पासवर्ड', 'कैप्चा' भरें और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
5.	नया पृष्ठ खुलेगा, जहाँ अभ्यर्थी (आवेदन करने के लिए यहाँ अप्लाई करें) बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
6.	ऑनलाइन आवेदन-पत्र के मूल दिशा-निर्देशों को पढ़ें और नीचे की ओर दो बटन नामतः "सेव एवं प्रिव्यू" और "क्लोज" पर क्लिक करके आगे बढ़ें। यदि अभ्यर्थी क्लोज के बटन को दबाता है तो वह आवेदन फार्म से बाहर हो जाएगा। कोई भी डाटा या विवरण सहेजा नहीं जाएगा।
7.	आवेदन-पत्र के एक बार पूरा भरे जाने के बाद, उद्घोषणा को सावधानी से पढ़ें और "सेव एवं प्रिव्यू" पर क्लिक करें।
8.	विवरणों की उपयुक्त रूप से जाँच कर लें और "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक करें और यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो आपके द्वारा भरा गया संपूर्ण डाटा/विवरण सुरक्षित हो जाएंगे अथवा यदि आवश्यक हो तो 'एडिट आवेदन बटन' पर क्लिक करें और विवरणों में संशोधन करें।
9.	तब, उपरोक्त क्र.सं.-1(क) में यथा विनिर्दिष्ट, अपना हाल का फोटोग्राफ (परीक्षा की सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह अधिक पुराना न हो) अपलोड और करें जिसपर फोटो लेने की तिथि स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो।
10.	क्रमांक संख्या-1 (ख) में यथा निर्दिष्ट अपना हस्ताक्षर अपलोड करें। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
11.	क्र.सं.-1(ग) में यथा विनिर्दिष्ट आयु और शैक्षिक अर्हताओं के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण-पत्र/ मैट्रिक/एसएसएलसी/10वीं प्रमाणपत्र और शैक्षिक अर्हताओं के प्रमाण-पत्र की स्कैन की हुई प्रतियाँ अपलोड करें।
12.	सभी आवश्यक दस्तावेज और छवि अपलोड करने के बाद, पृष्ठ के नीचे दिखाई देने वाले "भुगतान" बटन पर भुगतान करने के लिए जारी बटन पर क्लिक करें।
13.	अब 'भुगतान' विंडो दिखेगी। जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, उन्हें यह संदेश दिखाई देगा कि आप शुल्क छूट के पात्र हैं और उन्हें 'आवेदन प्रिंट करें' का विकल्प मिलेगा।

14.	यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
15.	शुल्क का भुगतान यूपीआई,नेट बैंकिंग, डेबिट अथवा क्रेडिट-कार्ड अथवा 'रूपे कार्ड' अथवा एसबीआई की शाखाओं में एसबीआई चालान जनरेट करते हुए नकद के माध्यम से अदा किया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी चालान विकल्प का चयन करता है, तो अभ्यर्थी को सर्वर से शुल्क जमा करने के लिए चालान फार्म प्राप्त होता है। चालान फार्म प्राप्त करने के बाद, अभ्यर्थी को भारतीय स्टेट बैंक की निकटतम शाखा में जाकर शुल्क जमा करना चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थी की औपचारिकता पूरी हो जाती है। बैंक एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करेगा और सीआईएसएफ को भेजेगा। इस प्रक्रिया में कम से कम 48 घंटे लगते हैं। 48 घंटे के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन की स्थिति का पता कर सकता है।
16.	भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अभ्यर्थी अपने भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसे अपने पास रख सकते हैं।

चेतावनी :

(क)उम्मीदवारों को सभी पंजीकृत डेटा को ध्यान से सत्यापित करना चाहिए। यदि किसी डेटा का गलत उल्लेख किया गया है, तो उसे "संपादित करें" बटन पर क्लिक करके संपादित किया जा सकता है।

ख).**"सबमिट"** बटन पर क्लिक करने पर, अब तक दर्ज किया गया डेटा/विवरण सर्वर में सहेजा जाएगा। यदि उम्मीदवार **"संपादित"** बटन पर क्लिक करता है, तो डेटा/विवरण सहेजा नहीं जाएगा और उम्मीदवार पंजीकरण विंडो/प्रक्रिया से बाहर निकलने में सक्षम होगा।

अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* पुत्र/पुत्री श्रीगाँव/नगर* जो जिला/खंड*..... राज्य/संघ शासित क्षेत्र*जाति/जनजाति से सम्बंधित है की पहचान निम्न के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में की गई है :-	
'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950@	
'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 @	
'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश, 1951* @	
'संवैधानिक (अनुसूचित जन जाति) (संघशासित क्षेत्र) आदेश, 1951* @	
(जैसा कि अनुसूचित जाति/जनजाति सूचियाँ (संशोधन आदेश) 1956 द्वारा संशोधित, बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, 'पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति/जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976) मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 और गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987)	
'संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 @	
संवैधानिक (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश 1959 यथासंशोधित अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976@	
'संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962@	
'संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@	
'संवैधानिक (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@	
'संवैधानिक (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967@	
'संवैधानिक (गोवा, दमन दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@	
'संवैधानिक (गोवा, दमन दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@	
'संवैधानिक (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@	
'संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@	
'संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@	
'संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@	
'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990' @	
संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@	
'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1991@	
'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@	
'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002@	
'संवैधानिक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002@	
'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (दूसरा संशोधन) 2002@	
2. यह ऐसे अनुसूचित जाति/अनुजन जाति के व्यक्तियों के बारे में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे में अप्रवजन कर गए हों।	
यह प्रमाणपत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर श्री/श्रीमती' पिता/माता श्री/श्रीमती/कुमारी'..... गाँव/नगर'.....जिला/खंड'राज्य/संघशासित क्षेत्र'जो किजाति/जनजाति से संबंधित हों जिसे राज्य/संघ शासित क्षेत्र.....द्वारा जारी किए गए(जारी करने वाला प्राधिकृत प्राधिकरण का नाम) द्वारा उनकी संख्यादिनांकको जारी किया गया है।	
% श्री/श्रीमती/कुमारी' और/अथवा/उसका' परिवार वास्तविक रूप से गाँव/नगर'जिला/खंड'..... राज्य/संघशासित क्षेत्र'में रहते हैं।	
स्थान.....	हस्ताक्षर..... राज्य/संघीय क्षेत्र
दिनांक	**पदनाम.....
* जो लागू न हो वे शब्द काट दिये जाएं। @कृपया राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का संदर्भ दें। % उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू न हो।	
टिप्पणी : यहां "साधारणतया रहता है/रहते हैं" शब्द का प्रयोग उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है।	
**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपिव के प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची।	
1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट से पद में कम न हो) 2. मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट 3. राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो। 4. उस क्षेत्र के सब डिविजनल अधिकारी जिस क्षेत्र में आवेदक और/अथवा उसके परिवार के सदस्य सामान्यतः निवास करते हैं।	
टिप्पणी:-तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति के आवेदक केवल राजस्व प्रभाग अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।	

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री,
श्री..... गांव/नगर.....जिला/प्रभाग.....राज्य/संघ
शासित क्षेत्र.....केसमुदाय से संबंधित है जिसे भारत सरकार के
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्यादिनांक.....* के
तहत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....और/अथवा उनका/उनके परिवार
राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र के जिला/मंडल..... में सामान्य रूप से रहते हैं।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93 स्था.
(एससीटी) दिनांक 08.09.1993**, भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लेखित व्यक्तियों/वर्गों
(क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।

दिनांक.....

जिलाधिकारी
उपायुक्त इत्यादि
(कार्यालय की मोहर सहित)

*प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति का उल्लेख अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में किया गया है।

**समय समय पर यथा संशोधित।

टिप्पणी :- यहां "साधारणतया" शब्द का प्रयोग उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है।

.....सरकार
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय और परिसंपत्तियों का प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र सं.....

दिनांक.....

.....वर्ष के लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीपुत्र/पुत्री/पत्नी.....
ग्राम/गली.....डाकघरजिला.....पिन कोड.....
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रके स्थायी निवासी हैं, जिसकी तस्वीर नीचे सत्यापित की गई है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित है क्योंकि उसके परिवार की कुल वार्षिक आय वित्तीय वर्षके लिए 8 लाख (आठ लाख मात्र) से कम है। उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई परिसंपत्ति नहीं है :-

- I. 5 एकड़ एवं उससे अधिक कृषि भूमि;
- II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....जाति से संबंधित हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

आवेदक का हाल का
पासपोर्ट आकार का
सत्यापित फोटो

हस्ताक्षर, कार्यालय की मोहर सहित.....
नाम.....
पदनाम.....

* नोट : 1. आय में सभी स्रोत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं।

**नोट : 2. इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन साथ-साथ उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

***नोट : 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गकी स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/शहरों में "परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है।

कद अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारीपुत्र/पुत्री, श्रीगांव.....
तहसील/तालुका.....जिला.....राज्य..... के स्थायी निवासी हैं।

2. आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

- ❖ भारत के संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और सीने की माप में छूट के लिए उल्लेखित सम्पूर्ण क्षेत्र के निवासी (गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा और मराठा) के रूप में जाने जाते हैं।
- ❖ वह सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर के लेह एवं लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है और उसके मामले में भारत के संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और सीने में छूट देने पर विचार किया जाता है।
- ❖ वहजनजातीय समुदाय से संबंध रखता है और उसके मामले में भारत के संघ के अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए कद और सीने में छूट देने पर विचार किया जाता है।

स्थान :

दिनांक

- ❖ जो लागू न हो उन्हें काट दें।

हस्ताक्षर
मजिस्ट्रेट/उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

सीआईएसएफ कार्मिकों सहित सरकारी विभागों/उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

“प्रमाणित किया जाता है कि विभाग/कार्यालय को श्रीको सीआईएसएफ मेंके पद के लिए आवेदन करने के लिए अनुमति प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है। पुनः यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीको आज तक कोई दंड (छोटा/बड़ा) नहीं दिया गया है और इस विभाग/कार्यालय में उनकी सेवा के दौरान उनका प्रदर्शन “औसत” से ऊपर रहा है।

हस्ताक्षर
कार्यालय प्रमुख का नाम और पदनाम/
नियंत्रण अधिकारी/इकाई प्रभारी

दिनांक :

भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत सिविल पदों के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता का प्रपत्र

मैं, यह समझता हूँ कि यदि मेरा चयन भर्ती/परीक्षा के आधार पर, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है, हो जाता है तो मेरी नियुक्ति, नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को मेरे द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होगी। मुझे सशस्त्र बलों से विधिवत मुक्त/सेवानिवृत्त/कार्यभार मुक्त कर दिया गया है और मैं समय-समय पर यथा संशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवाओं एवं पदों पर पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 के अनुसरण में भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभों का हकदार हूँ।

2. मैं, यह भी समझता हूँ कि मैं इस परीक्षा में शामिल भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं होऊंगा, यदि मैंने ऐसी नियुक्ति से पहले किसी समय, भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू रिक्तियों के आरक्षण में छूट का लाभ उठाते हुए सिविल साइड (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि) में कोई रोजगार प्राप्त किया है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम

स्थान :

दिनांक :

भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप

मैं, एतद् द्वारा, उपलब्ध सूचना के साथ, प्रमाणित करता हूँ कि श्री.....संख्या.....पदनाम.....नियुक्ति की निर्धारित अवधि को सशस्त्र बलमेंदिनांकको अपनी सेवा पूरा कर लेंगे।

नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर

स्थान :

दिनांक :

भूतपूर्व सैनिक द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता

मैं,जिसका अनुक्रमांक.....है
परीक्षा 20..... के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित रहूंगा। मैं, एतद् द्वारा वचन देता हूँ कि :

- (क) मैं समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा और पद नियम, 1979 में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के संदर्भ में भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिए जाने वाले लाभों का हकदार हूँ।
- (ख) मैंने पूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के लिए दिए गए आरक्षण के फायदों का लाभ लेने के बाद नियमित आधार पर सिविल साइड (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों इत्यादि सहित) किसी भी सरकारी नौकरी का लाभ नहीं लिया है; अथवा
- (ग) मैंने सिविल सेवा में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंके कार्यालय में दिनांक.....कोके रूप में शामिल हुआ हूँ। मैं एतद् द्वारा वचन देता हूँ कि मैंने उपरोक्त परीक्षा के लिए आवेदन के तिथि-वार विवरण के बारे में अपने वर्तमान नियोक्ता को स्वघोषणा/वचनबद्धता प्रस्तुत कर दी है जिसके लिए मैंने वर्तमान नियोक्ता को जवाइन करने से पहले ही आवेदन किया था; अथवा
- (घ) मैंने सिविल साइड में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ लिया है। मैंने.....के कार्यालय में दिनांक.....कोके रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए मैं केवल आयु में छूट के योग्य हूँ।

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर दिए गए कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और पूर्णतः सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर कोई भी सूचना गलत पाए जाने की स्थिति में मेरी अभ्यर्थिता/नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

अनुक्रमांक.....

तिथि.....

सशस्त्र बल में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि.....

कार्यमुक्ति की तिथि.....

अंतिम इकाई/कॉर्पस.....

मोबाईल नंबर

ई-मेल आईडी.....

सरपंच/नम्बरदार/नायब तहसीलदार.....का कार्यालय

फोटो

जम्मू और कश्मीर राज्य में रहने वाले पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए पहचान प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती
:पुत्र/पुत्री, पत्नी श्रीपूर्व में गांव.....तहसील.....
.....जिला....., भारत विभाजन से पूर्व (अब पाकिस्तान) के निवासी थे। वर्तमान
में मकान संख्यागली/लेन संख्या.....मोहल्ला.....
गांव.....तहसील.....जिला.....में रह रहे हैं जो पश्चिमी
पाकिस्तानी शरणार्थी है जो भारत-पाकिस्तान के 1947 के युद्ध पश्चात यहां विस्थापित हो गए हैं।

सरपंच/नम्बरदार/नायब तहसीलदार

CBC No.19113/11/0010/2425